

दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III दिनांक 04 जनवरी, 2021 के अनुपालन का प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधियाचना को भेजने से पहले 19 अप्रैल, 2017 से प्रभावी विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 04 जनवरी, 2021 की अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III सहित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीतियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है।

**संघ लोक सेवा आयोग को मांगपत्र भेजने संबंधी प्रपत्र**

(कृपया इस प्रपत्र को दो प्रतियों में विधिवत भरें।)

मांगकर्ता संगठन का नाम:

पद/पदों पर भर्ती:

1. क्या मांगकर्ता प्राधिकारी को सीधे संघ लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्राधिकृत किया गया है?

2. पदों का संक्षिप्त विवरण:

पदनाम	वेतनमान एवं परिलब्धियाँ* (एचआरए एवं सीसीए रहित)	समूह एवं सेवा संवर्ग	अनुमोदित पदों की कुल संख्या	
			स्थायी	अस्थायी

\*आयोग द्वारा विशेष रूप से योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों के लिए उच्च प्रारंभिक वेतन की सिफारिश की जा सकती है।

3. (क) रिक्तियों की संख्या जिसके लिए मांग भेजी जा रही है:

श्रेणी	स्थायी	अस्थायी	कुल
(i) अनुसूचित जाति			
(ii) अनुसूचित जनजाति			
(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग			
(iv) अनारक्षित			
(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
(vi) बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति			
<b>(i) से (vi) का कुल</b>			

(ख) क्या रिक्ति/रिक्तियों को बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिए उपयुक्त पाया गया है

क्र. सं.	दिव्यांगता श्रेणी	अनुज्ञेय दिव्यांगता की उप-श्रेणी
(i)	दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि	
(ii)	बधिर एवं ऊंचा सुनने वाले	
(iii)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात, कुष्ठ रोग, उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण सहित चलने में असमर्थता	
(iv)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और मानसिक रोग	
(v)	खंड (i) से (iv) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों तथा बधिर-दृष्टिहीनता में से बहुदिव्यांगता वाले व्यक्ति	
		<b>कुल:</b>

(ग) रिक्तियाँ कैसे सृजित हुईं?

(घ) क्या संवीक्षा समिति ने का. एवं प्रशि. वि. के का. जा. सं. 2/8/2001-पीआईसी दिनांक 16.05.2001 के अनुसार रिक्ति(यों) को स्पष्ट किया है?

(ङ) क्या अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का. एवं प्रशि. वि. के का. जा. सं. 36012/2/96-स्था.(आर.) दिनांक 02.07.97, में यथा निर्धारित सामान्य सिद्धांतों और का. एवं प्रशि. वि. के का. जा. सं. 36039/1/2019-स्था.(आर.) दिनांक 31.01.2019 के पैरा 6 में उल्लिखित अनुसार हाल ही में पुनर्गठित समूहवार पद-आधारित आरक्षण तालिका के आधार पर तैयार किया गया है?

(च) क्या बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को का.एवं प्रशि.वि. के का.जा. सं. 36035/02/2017-स्था.(आर.) दिनांक 15/01/2018के अनुसार 100 बिंदु रिक्ति तालिका के आधार पर तैयार किया गया है?

4. (क) यदि रिक्ति/रिक्तियां स्थायी/अस्थायी हैं/हैं तो इसे किस आधार पर भरा जाना है (जो लागू न हो उसे काट दें)।

(ख) यदि रिक्ति/रिक्तियां अस्थायी हैं, तो क्या ये गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ. 2/4/67-स्था.(बी) दिनांक 08.06.67के संबंध में तीन वर्षों से अधिक समय तक मौजूद रहेंगी।

5. क्या वर्तमान में मांगे जा रहे पद (पदों) के संबंध में किसी न्यायालय में मुकदमा चल रहा है/लंबित है।

(क) यदि हां, तो ओए संख्या/सीडब्ल्यूपी नंबर/एसएलपी संख्या, आदि के साथ मामले की वर्तमान स्थिति बताएं। न्यायालय से प्राप्त निर्देशों की एक प्रति, यदि कोई हो, मांग के साथ संलग्न की जा सकती है।

(ख) यह भी बताएं कि इस तरह के अदालती मामले का वर्तमान मांग पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

टिप्पणी : मांग पत्र भेजने के बाद उत्पन्न होने वाले अदालती मामले (मामलों) का विवरण, यदि कोई हो, और ऐसे अदालती मामले (मामलों) को भेजे गए मांग पर पड़ने वाले प्रभाव से, आयोग को तुरंत और बिना किसी विलंब के अवगत कराया जाएगा।

6. क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पदों के लिए भर्ती नियमों को मंजूरी दी गई है?

(क) यदि हां, तो आयोग के पत्र की संदर्भ संख्या और तारीख बताएं और नियमों की एक अद्यतन और प्रमाणित प्रति संलग्न करें। अधिसूचित भर्ती नियम की सत्यापित और प्रमाणित प्रति जिसमें जी.एस.आर. संख्या, नवीनतम संशोधनों के साथ, यदि कोई हो, मांगपत्र के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

(ख) यदि संलग्न नहीं है तो कारण(णों) का उल्लेख करें।

(ग) कृपया बताएं कि क्या भर्ती नियमों में संशोधन/पुनरीक्षण का संदर्भ आयोग को दिया गया है। यदि हां, तो मंत्रालय/विभाग के पत्र क्रमांक और दिनांक का ब्यौरा दें।

7. क्या पैरा 6 (क) से (ग) में संदर्भित अधिसूचित भर्ती नियम अब तक पांच (5) वर्ष से अधिक पुराने हैं।

(क)(1) यदि इन नियमों की समीक्षा की गई तो आयोग को भेजे गए प्रस्ताव की संदर्भ संख्या और तिथि बताएं।

(क)(2) यदि समीक्षा नहीं की गई है, तो तत्संबंधी कारण बताएं।

(क)(3) क्या अब मांगे गए पद(पदों) को मौजूदा भर्ती नियमों के आधार पर विज्ञापित/भरा जाना है/हैं, जो पांच वर्ष से अधिक पुराने हैं।

(ख)(1) क्या मौजूदा भर्ती नियमों की अधिसूचना के बाद अब अपेक्षित पद (पदों) को कभी अपग्रेड किया गया था।

(ख)(2) यदि हां, तो आयोग को भेजे गए मंत्रालय/विभाग के पत्र का संदर्भ और तारीख बताएं। अधिसूचना की जी.एस.आर. संख्या और तारीख बताएं।

(ख)(3) यदि आयोग से संपर्क नहीं किया गया था, तो तत्संबंधी कारण बताएं।

8. कृपया बताएं कि क्या वर्तमान रिक्ति या रिक्तियां सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत आती हैं।

9.(क) यदि भर्ती नियम में अन्य तरीकों का प्रावधान प्रदान करते हैं, तो कृपया संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई कार्रवाई और पत्राचार का संदर्भ और तारीख बताएं।

(ख) यदि सीधी भर्ती के लिए वर्तमान मांग भर्ती के किसी अन्य तरीके के कारण विफल होती है, तो सीधी भर्ती का सहारा लेने के लिए मंत्रालय/विभाग को दी गई आयोग की सलाह की संदर्भ संख्या और तारीख बताएं।

10. योग्यता(एं)

(क) अनिवार्य:

(ख) वांछित:

(ग) अनुभव:

11. केंद्र सरकार के कर्मचारी/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति आदिके लिए आयु सीमा एवं अनुमेयछूट।

12. परिवीक्षा की अवधि

13. कार्यों का संक्षिप्त विवरण

(संक्षेप में 40 शब्दों से अधिक न लिखें)

14. स्थान(नों) जहां अधिकारी(ओं) को सेवा देने की आवश्यकता होगी।

15. क्या सीसीएस (पेंशन) नियमावली के नियम 30 के तहत अनुमेय, सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभ लागू है।

16. कोई अन्य आवश्यकता या शर्तें जो ऊपर शामिल नहीं की गई हैं।

17. यदि समान पदों के लिए पूर्व में सीधी भर्ती की गई थी तो आयोग से किए गए नवीनतम पत्राचार का संदर्भ एवं दिनांक बताएं।

18. मंत्रालय के प्रतिनिधि का नाम, पता और दूरभाष- जिनके साथ इन प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है।

19. \*यह प्रमाणित किया जाता है कि:

(क) इस मांगपत्र को भेजते समय 19 अप्रैल, 2017 से प्रभावी "दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016" की अपेक्षाओं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 4 जनवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 38-16/2020-डीडी-III सहित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है। इस मांग में बताई गई रिक्तियां 100 प्वाइंट आरक्षण तालिका के चक्र सं. \_\_\_\_\_ बिंदु सं. \_\_\_\_\_ पर आधारित है जिसमें से \_\_\_\_\_ रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं, एवं

\*i) इस मांगपत्र के तहत ..... के पद की पहचान बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त तथा उनके द्वारा संचालित होने के रूप में किया गया है। बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को रिक्ति प्रपत्र में उपयुक्त रूप से दिखाया गया है।

अथवा

\*ii) इस मांगपत्रके तहत .....के पद की पहचान बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त के रूप में की गई है। प्रस्तावित रिक्तियों में से कोई भी बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित नहीं है (अर्थात् पद उपयुक्त है लेकिन बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित नहीं है)।

अथवा

\*iii) मांग की जा रही ..... के पद की पहचान बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त के रूप में किया गया है (अर्थात् पद उपयुक्त नहीं है और इस प्रकार बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षित नहीं है)।

अथवा

\*iv) जिस एजेंसी के लिए यह अनुरोध ..... भेजा जा रहा है, उसे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 34 के प्रावधान से छूट प्राप्त है।

(ख) सभी सीधी भर्ती रिक्तियों की जांच और का. एवं प्रशि.वि. के दिनांक 16.05.2001 के का.जा. संख्या 2/8/2001-पीआईसीमें दी गई प्रक्रिया के अनुसार कटौती करने के बाद मांगपत्र रखा जा रहा है।



(ग) का.एवं प्रशि.वि. (अब पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन विभाग के रूप में नामित) और महानिदेशक (पुनर्स्थापना), रक्षा मंत्रालय के अधिशेष सेल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए हैं और न ही इस मांगपत्र के अनुलग्नक के रूप में रखे गए हैं।

(घ) मांगपत्र रखने से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

(ङ) मांगपत्र को संबंधित संयुक्त सचिव/अपर सचिव द्वारा देखा गया है (नाम और पदनाम दिया जाए) और उनके अनुमोदन से भेजा जा रहा है।

(\*जो खंड लागू न हों उन्हें काट दें)

मांगपत्र भेजने के लिए अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम एवं पदनाम

टेलीफोन नं. :

स्थान:

दिनांक:

**चयन - चैक -लिस्ट द्वारा भर्ती के लिए मांगपत्र**

क्र.सं.	दी जाने वाली सूचना	मद संख्या	हाँ/नहीं
1.	क्या मांगपत्र को अपेक्षित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है?		हाँ/नहीं
2.	क्या मांगपत्र में नाम, पदनाम, एवं टेलीफोन संख्या दर्शाते हुए मांगकर्ता प्राधिकारी के मूल रूप से हस्ताक्षर किए हुए हैं?		हाँ/नहीं
3.	क्या मांगकर्ता प्राधिकारी को सीधे संघ लोक सेवा आयोग को मांग पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा प्राधिकृत किया गया है?	1	हाँ/नहीं
4.	यदि हाँ, तो क्या संबंधित दस्तावेज/आदेश संलग्न किया गया है?	1	हाँ/नहीं
5.	क्या पद का संक्षिप्त विवरण पदनाम, वेतनमान और कुल परिलब्धियों (एचआरए और सीसीए रहित), समूह और सेवा संवर्ग के बारे में आवश्यक प्रारूप में दिया गया है और भर्ती नियमों के अनुसार स्वीकृत पदों की कुल संख्या (स्थायी और अस्थायी) को दर्शाया गया है?	2	हाँ/नहीं
6.	क्या मौजूदा रिक्तियों और मांग पत्र की तारीख से एक वर्ष तक की प्रत्याशित रिक्तियों को दिनांक 13.03.1969 के कार्यालय जापन संख्या 23/38/69-स्था (बी) के साथ पठित गृह मंत्रालय के दिनांक 10.06.1969 के कार्यालय जापन संख्या 9/21/68-आरपीएस तथा उसके तहत/उसमें किए गए संशोधन/निर्देश/ को शामिल किया गया है?	3	हाँ/नहीं
7.	क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.1997 के कार्यालय जापन संख्या 36012/2/96-स्था.(आर.) में यथा निर्धारित पद - आधारित आरक्षण तालिका तैयार एवं लागू करने संबंधी सामान्य सिद्धांतों तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय जापन संख्या 36039/1/2019-स्था. (आर.) के पैरा 6 में यथा उल्लिखित, अनुलग्नक II, III, IV एवं V जैसा भी मामला हो में दिए गए प्रारूप के अनुसरण में सीधी भर्ती के लिए नवनिर्मित समूह-वार पद-आधारित आरक्षण तालिका के आधार पर अ.जा., अ.ज.जा, अ.पि.व. एवं ईडब्ल्यूएस हेतु पर आरक्षण	3	हाँ/नहीं

	दिया गया है		
8.	क्या मांगपत्रसभीसीधी भर्ती रिक्तियों की जांच और का. एवं प्रशि.वि. केदिनांक 16.05.2001 के कार्यालय जापन संख्या 2/8/2001-पीआईसी, में दी गई प्रक्रिया के अनुसार कटौती को लागू करने के बाद मांगपत्र प्रस्तुत की गई है यदि रिक्तियों के सृजन की तारीख 31.03.2009 से पहले की है?	3	हाँ/नहीं
9.	क्या मांग पत्र में रिक्तियों के सृजित होने के कारणों का उल्लेख सृजित होने की तिथि के साथ किया गया है?	3	हाँ/नहीं
10.	क्या इस अनुरोध को भेजते समय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के आरक्षण से संबंधित नीति का ध्यान रखा गया है?	3	हाँ/नहीं
11.	क्या बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता और आरक्षण पर का.एवं.प्र. विभागकेदिनांक 15/01/2018 के कार्यालय जापन संख्या 36035/02/2017-स्था.(आर.) आधार पर विचार/कार्य किया गया है, और बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के संबंध में दिव्यांग व्यक्तिअधिकारिता विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) द्वारा किए गए संशोधनों/समीक्षाओं का समय-समय पर संज्ञान लिया गया है?	3	हाँ/नहीं
12.	यदि रिक्तियों की मांग अस्थायी आधार पर की जा रही है, तो क्या ऐसी रिक्तियां गृह मंत्रालय के दिनांक 08.06.1967 के कार्यालय जापन संख्या एफ.2/4/67-स्था.(बी) और उसके बाद उसमें / उसके तहत किए गए संशोधनों / निर्देशों के अनुसार तीन वर्षों से अधिक समय तक मौजूद रहेंगी?	4	हाँ/नहीं
13.	क्या अदालती मामलों/मुकदमों/निर्णयों के ब्यौरों का उल्लेख उसके प्रभाव के साथ किया गया है, यदि कोई हो?	5	हाँ/नहीं
14.	क्या यह नोट में प्रमाणित किया गया है कि मांग भेजने के बाद उत्पन्न होने वाले अदालती मामलों का विवरण, यदि कोई हो, और ऐसे अदालती मामले (मामलों) का	5	हाँ/नहीं

	प्रभाव भेजे गए अनुरोध पर आयोग को तुरंत और बिना किसी चूक के सूचित किया जाएगा?		
15.	क्या भर्ती नियम/सेवा नियमावली अर्थात अधिसूचना, समीक्षा आदि के संबंध में पूर्ण विवरण का उल्लेख किया गया है?	6 एवं 7	हाँ/नहीं
16.	क्या अधिसूचित भर्ती नियमों/सेवा नियमों की प्रमाणित प्रति संलग्न की गई है?	6	हाँ/नहीं
17.	क्या भरी जाने वाली रिक्तियां अधिसूचित भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती कोटे के अंतर्गत आती हैं?	8	हाँ/नहीं
18.	यदि सीधी भर्ती की वर्तमान मांग भर्ती के किसी अन्य तरीके से होने के कारण विफल होती है, तो क्या मंत्रालय/विभाग को सीधी भर्ती का सहारा लेने के लिए आयोग की सलाह की संदर्भ संख्या और तारीख का संकेत दिया गया है और क्या उसकी एक प्रति संलग्न की गई है?	9	हाँ/नहीं
19.	क्या अधिसूचित भर्ती नियमों/सेवा नियमों के अनुसार अनिवार्य और वांछनीय योग्यता विवरण स्पष्ट और व्यापक तरीके से तैयार किए गए हैं?	10	हाँ/नहीं
20.	यदि उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता में "या समकक्ष" शब्द शामिल है, तो क्या आयोग के परामर्श से समकक्ष शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत सूची प्रदान की गई है?	10	हाँ/नहीं
21.	यदि उपर्युक्त अनुभव योग्यता स्पष्ट नहीं/अस्पष्ट है या परिमाणित नहीं है या विशिष्ट क्षेत्र (क्षेत्रों) में स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है जिसमें अनुभव की आवश्यकता है, तो क्या इसे आयोग के परामर्श से स्पष्टतया और स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है?	10	हाँ/नहीं
22.	क्या आयु सीमा और छूट अधिसूचित भर्ती नियमों / सेवा नियमों और विषय पर भारत सरकार के मौजूदा निर्देश के अनुसार हैं।	11	हाँ/नहीं
23.	यदि किसी विशिष्ट प्रावधानों/विशेष परिस्थितियों/न्यायालय के आदेशों के तहत आयु में छूट का संकेत दिया गया है, तो क्या डीओपीटी/गृह मंत्रालय की पूर्व सहमति प्राप्त करने वाले नोट्स/पत्राचार/निर्णय की प्रतियां और आयोग के साथ पूर्व परामर्श संलग्न किया गया है?	11	हाँ/नहीं
24.	क्या परिवीक्षा की अवधि, तैनाती का स्थान और अन्य	12 एवं	हाँ/नहीं

	विवरण आदिविषय पर भारत सरकार के मौजूदा अधिसूचित भर्ती नियमों/सेवा नियमों और निर्देशों के अनुसार हैं?	14	
25.	क्या कार्यो को संक्षेप में 40 शब्दों के भीतर दर्शाया गया है?	13	हाँ/नही
26.	क्या किसी अन्य आवश्यकता या ऊपर शामिल नहीं की गई शर्तों के बारे में जानकारी यदि कोई है तो, दी गई है?	16	हाँ/नही
27.	यदि समान पदों के लिए पूर्व में सीधी भर्ती की गई थी, तो क्या आयोग से नवीनतम संप्रेषण का संदर्भ और तारीख (निष्फल(इन-फ्रूक्टूअस)मामले सहित) इंगित की गई है?	17	हाँ/नही
28.	यदि वर्तमान मांग पिछले छह महीने के भीतर भेजे गए हैं, तो क्या संतोषजनक कारण बताए गए हैं?	17	हाँ/नही
29.	क्या मंत्रालय के प्रतिनिधिजिनके साथ प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है, का नाम, पता और टेलीफोन नंबर इंगित किया गया है?	18	हाँ/नही
30.	क्या जो खंड लागू नहीं हैं उन्हें काट दिया गया है?	19	हाँ/नही
31.	क्या का.एंव प्रशि.वि. (अब पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्नियोजन विभाग के रूप में नामित) और महानिदेशक (पुनर्स्थापना), रक्षा मंत्रालय के अधिशेष प्रकोष्ठ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है और इस मांग के अनुलग्नक के रूप में रखा गया है?	19	हाँ/नही
32.	क्या मांग के साथ सभी आवश्यक प्रासंगिक प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हैं?	19	हाँ/नही
33.	क्या उस अधिकारी का नाम जिन्होंने मांग को मंजूरी दी है, जो संबंधित संयुक्त सचिव/अपर सचिव के स्तर से नीचे के नहीं है, इंगित किया गया है?	19	हाँ/नही

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए पदों की उपयुक्तता/आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित विवरण दिया जाना है:

**टिप्पणी:** दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, 2016 की धारा 2(द) के अनुसार, "बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति" का अर्थ एक व्यक्ति जिसकी विशिष्ट दिव्यांगता चालीस प्रतिशत से कम न हो, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है और इसमें दिव्यांग व्यक्ति शामिल है जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, पद पीडब्ल्यूबीडी के लिए तभी आरक्षित किया जा सकता है जब उसकी पहचान संबंधित श्रेणी के पीडब्ल्यूबीडी के लिए उपयुक्त हो।

**क) रिक्तियों की संख्या: समस्तरीय आरक्षण**

समस्तरीय आरक्षण		स्थायी	अस्थायी	कुल
बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी)	(i)	दृष्टिहीनता एवं अल्पदृष्टि		
	(ii)	बधिर एवं ऊँचा सुनने वाले		
	(iii)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले का शिकार एवं मांसपेशीय कुपोषण		
	(iv)	ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और मानसिक बीमारी;		
	(v)	बधिर-दृष्टिहीन सहित खंड (i) से (iv) के तहत आने वाले व्यक्तियों में से बहुविध अक्षमता।		

ख) कार्यात्मक आवश्यकताएँ

क्रम.सं.	कार्यात्मक आवश्यकताएँ	हाँ/नहीं
i)	एस- बैठना	
ii)	एस.टी. - खड़े होना	
iii)	डब्ल्यू-चलना	
iv)	बी.एन.-झुकना	
v)	सी.आर.एल.-रेंगना	
vi)	सी.एल.-चढ़ना	
vii)	जे.यू.-कुदना	
viii)	एल.-उठाना	
ix)	के.सी.-घुटने टेकना और झुकना	
x)	आर.डब्ल्यू -पढ़ना एवं लिखना	
xi)	एम.एफ. -उंगलियों से हेरफेर	
xii)	पी.पी.- खींचना एवं धकेलना	
xiii)	एस.ई.-देखना	
xiv)	सी -संप्रेषण	
xv)	एच - सुनना	

## अनुबंध-III

### ग) कार्यात्मक वर्गीकरण

क्रमांक	पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी	पीडब्ल्यूबीडीउप-श्रेणी	उपयुक्तता (हाँ/नहीं)	आरक्षण (हाँ/नहीं)	
i.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ , कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण	बीएल-दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं			
		बीए-दोनों हाथ प्रभावित	पहुंचने में असमर्थ		
			पकड़ने में दुर्बलता		
		ओएल- एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)	पहुंचने में असमर्थ		
			पकड़ने में दुर्बलता		
			एटैक्सिक		
		ओए-एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां)	पहुंचने में असमर्थ		
			पकड़ने में दुर्बलता		
			एटैक्सिक		
		बीएच-अकड़े हुए पीठ और कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)			
		बीएलए-दोनों पैर और दोनों हाथ प्रभावित			
		बीएलओए- दोनों पैर और एक हाथ प्रभावित			
		ओएलए-एक पैर और एक हाथ प्रभावित	एक पैर (दायां या बायां)	पहुंचने में असमर्थ	
				पकड़ने में दुर्बलता	
				एटैक्सिक	
			एक हाथ (दायां या बायां)	पहुंचने में असमर्थ	
पकड़ने में दुर्बलता					
एटैक्सिक					
सीपी -प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात					
एलसी- कुष्ठ रोग उपचारित					
डीडब्ल्यू- बौनापन					
एएवी -तेजाबी हमले से पीड़ित					



		एमडीवाई -मांसपेशीय कुपोषण		
<b>ii.</b>	दृष्टिहीनता और अल्पदृष्टि	बी-दृष्टिहीन		
		एल.वी.-अल्पदृष्टि		
<b>iii.</b>	बधिर और ऊंचा सुनने वाले	डी- बधिर		
		एचएच -ऊंचा सुनने वाले		
<b>iv.</b>	ऑटिज्म,  बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और मानसिक रोग;	एसडी -ऑटिज्म स्पेक्ट्रम दिव्यांगता (एम=माईल्ड, एमओडी=मॉडरेट)  आईडी - बौद्धिक अक्षमता  एसएलडी- विशिष्ट लर्निंग अक्षमता  एमआई - मानसिक बीमारी		
<b>v.</b>	बधिर-दृष्टिहीन सहित खंड(i) से(iv) के तहत आने वाले व्यक्तियों में से बहुविध अक्षमताएं	एमडी -बहुविध अक्षमता		



## विज्ञापन विवरण

पद										
संगठन										
विभाग										
मंत्रालय										
पदों की संख्या	सामान्य	ईडब्ल्यूएस	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	बैचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)			
							(क)	(ख)	(ग)	(घ) एवं (ङ)

बैचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी)\* - समस्तरीय आरक्षण

(क) दृष्टिहीनता और अल्पदृष्टि;

(ख) बधिर और ऊंचा सुनने वाले;

(ग) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण;

(घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और मानसिक बीमारी;

(ङ) बधिर-दृष्टिहीनसहित खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहुविध अक्षमताएं

### भर्ती मामला

विज्ञापन संख्या	संदर्भ संख्या	विज्ञापन की तिथि (खुलने की तिथि)	भर्ती का वर्ष	अंतिम तिथि (ऑनलाइन आवेदन)	अंतिम तिथि (दस्तावेज़ अपलोड करना)

<p style="text-align: center;"><b>1. पीडबल्यूबीडी की उपयुक्तता :40%</b>  <b>2. पीडबल्यूबीडी के लिए आरक्षण :40%</b></p>				
क्रमांक	पीडबल्यूबीडी का प्रकार	पीडबल्यूबीडी का प्रकार	उपयुक्तता (हां/नहीं)	आरक्षण (हां/नहीं)
(क)	दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि	बी -दृष्टिहीन		
		एल.वी.- अल्पदृष्टि		
(ख)	बधिर और ऊंचा सुनने वाले	डी- बधिर		
		एचएच -ऊंचा सुनने वाले		
(ग)	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघातसहित: चलने में असमर्थ,कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित, मांसपेशीय कुपोषण	बीएल- दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं		
		बीए- दोनों हाथ प्रभावित		
		ओएल- एक पैर प्रभावित (दायांया बांया)		
		ओए- एक हाथ प्रभावित (दायांया बांया)		
		बीएच- अकड़े हुए पीठ और कूल्हे (बैठ या झुक नहीं सकते)		
		बीएलए- दोनों पैर और दोनों हाथ प्रभावित		
		ओएलए- एक पैर और एक हाथ प्रभावित		
		<b>बीएलओए-दोनों पैर और एक हाथ</b>		
		सीपी -प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात		
		एलसी- कुष्ठ रोग उपचारित		
		डीडबल्यू- बौनापन		
		एएवी -तेजाबी हमले से पीड़ित		
		एमडीवाई-मांसपेशीय कुपोषण		
(घ)	(i) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता, मानसिक बीमारी	<b>एसडी- ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर(एम=माईल्ड, एमओडी=मॉडरेट)</b>		
		आईडी- बौद्धिक अक्षमता		
		एसएलडी- विशिष्ट लर्निंग अक्षमता		

		एमआई- मानसिक रोग		
(इ)	बधिर-दृष्टिहीनता सहित खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से बहुविध अक्षमताएं	एमडी बहुविध - दिव्यांगता		

3. विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु सीमा (वर्षों में)	
श्रेणी का नाम	अधिकतम आयु
सामान्य	
ईडब्ल्यूएस	
अन्य पिछड़ा वर्ग	
अनुसूचित जाति	
अनुसूचित जनजाति	
शारीरिक रूप से दिव्यांग	
सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा :18	

4. अतिरिक्त सरकारी विभागों के लिए आयु में छूट	
आयु में छूट के लिए अतिरिक्त विभाग	<ul style="list-style-type: none"> <li>• दिल्ली नगर निगम</li> <li>• दिल्ली जल बोर्ड</li> <li>• एनडीएमसी</li> <li>• अन्य राज्य सरकारें</li> </ul>

5. शैक्षिक योग्यता	
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	कृपया पद के लिए शैक्षिक योग्यता पर ध्यान दें -
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

6. व्यावसायिक पंजीकरण	
पंजीकरण/नामांकन/सदस्यता	आवश्यकता के प्रकार
<ul style="list-style-type: none"> <li>• एलोपैथी</li> <li>• आयुर्वेद / यूनानी</li> <li>• होम्योपैथी</li> <li>• आर्किटेक्चर</li> <li>• विधि</li> <li>• भारतीय पशु चिकित्सा परिषद</li> <li>• दंत चिकित्सा</li> <li>• चार्टर्ड एकाउंटेंट /कंपनी सेक्रेटरी</li> </ul>	अनिवार्य /वांछनीय
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

7. भाषा	
भाषा	आवश्यकता के प्रकार
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	अनिवार्य /वांछनीय
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

8. प्रकाशन		
प्रकाशनों कीन्यूनतम संख्या	प्रकाशन की प्रकृति / विषय	आवश्यकता के प्रकार
		अनिवार्य /वांछनीय
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश		
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी		

--	--

9. नेट	
कुल योग्यता के प्रकार	
अनिवार्य /वांछनीय	
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

10. गेट	
गेट योग्यता के प्रकार	
अनिवार्य /वांछनीय	
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

11. सम्मेलन	
सम्मेलन के प्रकार	
राष्ट्रीय	अनिवार्य /वांछनीय
अंतरराष्ट्रीय	अनिवार्य /वांछनीय
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	
12. इंटर्नशिप	
इंटर्नशिप का प्रकार	
अनिवार्य /वांछनीय	
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	



--	--

13. अनुभव	
अनुभव की कुल अवधि	<ul style="list-style-type: none"> <li>वर्ष</li> </ul>
आवश्यकता का प्रकार	अनिवार्य /वांछनीय
अनुभव श्रेणी	<ul style="list-style-type: none"> <li>सामान्य</li> <li>डीएनबी/डीएम/एम.सीएच कोर्सके दौरान प्राप्त अनुभव</li> <li>अधिवक्ताओं का अभ्यास के तौर पर अनुभव</li> </ul>
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	कृपया अपने व्यावहारिक अनुभव का विवरण केवल निम्नलिखित क्षेत्रों में भरें- :
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

14. वांछनीय योग्यता	
आवश्यकता/प्रकार/घोषणा	अनिवार्य /वांछनीय
उम्मीदवारों को अनुदेश संदेश	कृपया पद के लिए वांछनीय योग्यता पर ध्यान दें- :
उम्मीदवारों को डायनामिक चेतावनी	

15. भर्ती परीक्षा केंद्र
भर्ती पूर्व परीक्षा होने पर केंद्रों का फैसला आयोग द्वारा किया जाएगा
पन्द्रह केन्द्रों की सूची में से दो विकल्प*
केंद्र का नाम:
(भोपाल, चेन्नई, दिल्ली, दिसपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, नागपुर, पोर्ट ब्लेयर, अहमदाबाद, जयपुर, कोच्चि, मुंबई, रांची और विशाखापत्तनम)

\* यदि पद हेतु भर्ती परीक्षा है, तो केंद्रों का निर्णय आयोग के ओआरए सेल द्वारा किया जाएगा

पद का विवरण	
वेतनमान	
आयु	<p>आयु: सामान्य समापन तिथि के अनुसार _____ वर्ष से अधिक नहीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में सामान्य समापन तिथि के अनुसार उनकी आयु _____ वर्ष से अधिक नहीं। अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में सामान्य समापन तिथि के अनुसार उनकी आयु _____ वर्ष से अधिक नहीं। नियमित रूप से नियुक्त केंद्रीय/संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार पांच वर्ष तक की छूट। कुछ अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए लागू आयु रियायत के लिए, कृपया 'चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और</p>

	अतिरिक्त जानकारी के प्रासंगिक पैरा देखें।
अनिवार्य योग्यता	ग. शैक्षिक:  घ. अनुभव:
वांछित योग्यता	
कार्य	
परिवीक्षा	
मुख्यालय	
अन्य ब्यौरे	
कोई अन्य शर्तें	

विज्ञापित नहीं किया जाना है

i) मंत्रालय/विभाग से मांग प्राप्त करने/अंतिम स्पष्टीकरण की तिथि (यदि कोई हो)

ii) आईएफसी के अनुमोदन की तिथि